रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270505
CG-DL-E-26022026-270505

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 956]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947
No. 956]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

का.आ. 1000(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 816(अ), दिनांकित 22 मार्च 2013 के द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 (नया एनएच-69) के किलोमीटर 243.200 से किलोमीटर 290.200 (हुलियार - सिरा खंड) तक के खंड को कर्नाटक राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 (नया एनएच-69) के किलोमीटर 243.200 से किलोमीटर 289.775 (डिज़ाइन चैनज) तक हुलियार - सिरा खंड के चार लेन के निवल सड़क खंड लंबाई 7.685 किमी (तालिका-2) के लिए नीचे की तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर से तथा पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के निवल सड़क खंड लंबाई 38.812 किमी (तालिका-2) और 0.774 किमी (0.0774 किमी की लंबाई, तालिका-3) के समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई) के लिए आधार दर के साठ प्रतिशत पर नीचे की तालिका 1 के कॉलम (1) में निर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-।	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार शुल्क दर (रु. में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छ: धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई (दूरी) हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है**	**दर, जिस पर फीस संदेय है।**
कर्नाटक राज्य के तुमकूर जिले में मुदिगेरे कावल गांव, सिरा तालुक के निकट किमी 283.175 से किमी 283.525 किमी (डिज़ाइन चैनेज) पर	38.812	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लेखित आधार दरों का 60%
	7.685	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लेखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई^ (किमी में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)**	**दर, जिस पर फीस संदेय है**
कर्नाटक राज्य के तुमकूर जिले में मुदिगेरे कावल गांव, सिरा तालुक के निकट किमी 283.175 से किमी 283.525 किमी (डिज़ाइन चैनेज) पर	0.0774	0.774	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

^60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैं: -

क्र. सं.	**चैनेज**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (किमी में)**
	किमी से	**किमी तक**		
1.	259.5613	259.6387	बड़ा पुल	0.0774
	जोड़			0.0774

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00 रु. (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
भुगतान-योग्य धनराशि	**अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत **276.12** करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/बीएनजी/एनएच-234/किमी243-290/50/2019/पार्ट/ई-190180]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2026

S.O. 1000(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 816(E) dated the 22nd March 2013 issued under Section 5 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from Kilometer 243+200 to Kilometer 290+200 (Huliyar - Sira Section) of National highway No. 234 (New NH-69) in the State of Karnataka to State Government of Karnataka.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of **7.685 Km (Table-2)** for use of four or more lane section and at sixty percent of the base rate for net road section length **38.812 Km (Table-2)** and for equivalent structure length (having length more than 60m) of **0.774 km** (having length of 0.0774 km) **(Table-3)** for use of two lane with paved shoulder section on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below for Huliyar – Sira section from **Kilometer 243+200 to kilometer 289.775 (Design chainage)** of National Highway number 234 (New NH-69) in the State of Karnataka and authorises

the National Highway Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	**(2)**
Car, Jeep: Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected here under shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Km 283.175 to 283.525 (Design Ch.) - (Near Mudigere Kaval Village, Sira Taluk, Tumkur District., Karnataka State)	38.812	60% for 2 lane with paved shoulder, of the base rates mentioned in Table-1 above
	7.685	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-3

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures^ (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At Km 283.175 to 283.525 (Design Ch.) -(Near Mudigere Kaval Village, Sira Taluk, Tumkur District., Karnataka State)	0.0774	0.774	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

^Details of structures (above 60m) are as under:

S. No.	**Chainage**		**Type of Structure**	**Length (in km)**
	From	**To**		
1.	259.5613	259.6387	Major Bridge	0.0774
	Total			**0.0774**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-Commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 340.00 (Rupees Three Hundred and Forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4

Amount Payable	**Maximum number of one-way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment

Two-third of amount of the fee payable for fifty Single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highway Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees **276.12** Crore and the capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. RW/BNG/NH-234/Km.243-290/50/2019/Part/E-190180]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.26 15:33:13 +05'30'